संख्या 1098/उन्तीस(2)/17–2(45पे0)/2011

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 02 नवम्बर,2017**

विषय– **13वे वित्त आयोग की संस्तुति के अंतर्गत देहरादून शहर की मल व्ययन योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1007/नियो0अनु0–धनावंटन प्रस्ताव/45 दिनांक 19 जुलाई,2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें 13वे वित्त आयोग के अंतर्गत देहरादून शहर की मल व्ययन योजना हेतु पुनरीक्षित आगणन रू0 190.64 करोड के विरूद्ध रू0 134.18 करोड की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए रू0 56.46 करोड की धनराशि अवमुक्त किया जाना है।

2– उक्त के क्रम में योजना की पूर्व में अनुमोदित लागत रू0 170.46 करोड की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अब तक निम्नलिखित शासनादेशो द्वारा कुल रू0 134.18 करोड की धनराशि अवमुक्त की गयी है:–

धनराशि लाख में

क0सं0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि
1	70/उन्तीस(2)/13–2(45पे0)/2011 दिनांक 15 जनवरी,13	1874.00
2	995/उन्तीस(2)/14–2(45पे0)/2011 दिनांक 29 सितम्बर,2014	4405.44
3	63/उन्तीस(2)/15–2(45पे0)/2011 दिनांक 04 फरवरी,2015	1694.56
4	558/उन्तीस(2)/15–2(45पे0)/2011 दिनांक 31 मार्च,2015	4444.00
5	899/उन्तीस(2)/15–2(45पे0)/2011 दिनांक 21 जून,2017	1000.00
	योग	13418.00

3– उपरोक्त योजना को शासनादेश संख्या– 762 / उन्तीस (2) / 15 –2 (45पे0)/2011 दिनांक 08 जनवरी,2016 के माध्यम से पुनरीक्षित करते हुए रू0 190.64 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान की गयी।

4– अतः देहरादून सीवेज योजना हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 190.64 करोड के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 134.18 करोड को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 56.46 करोड (रू0 छप्पन करोड़ छयालीस लाख मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष,2017–18 में रू0 35.00 करोड (रू0 पैतीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधो के अधीन व्यय करने हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल नि देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरा कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण व्यय क कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि से प्रश्नगत योजना में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण एवं जन उपयोगी कार्यो का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(iv) प्रतिमाह के अंत में व्यय विवरण बी0एम0–13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा किये गये कार्यो का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीक तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकड़ो का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(vi) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(viii) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एवं कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता से कार्य स्थल का निरीक्षण भली भॉति अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(x) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(xi) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगम नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xii) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2047/xiv-219(2006) दिनांक 30 मई,2016 द्वारा निर्गत शासनादेशो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या– 7 के लेखाशीर्षक 4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80– सामान्य–800– अन्य भवन–01– केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104– विभिन्न विभागों में पूंजीगत निर्माण–35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

6– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H 1710070984 दिनांक 25 अक्टूबर,2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून,2017 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 332 /XXVII(2)/2017 दिनांक 30 अक्टूबर,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

पृ0सं0 1098-(1)/उन्तीस(2)/17–2(45पे0)/2011 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–जिलाधिकारी, देहरादून।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4–बजट निदेशालय, देहरादून।
5–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–02
6–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
7–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव